राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 11588/2023

कुलजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम 2 एफएफए, वाया गजसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिए सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद श्रीगंगानगर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री विवेक फिरोदा
प्रतिवादी (गण) के लिए : श्री कुलदीप वैष्णव

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>21/03/2025</u>

1. याचिकाकर्ता के पिता की ग्राम सेवक-ग्राम विकास अधिकारी ('वीडीओ') के पद पर रहते हुए 08.05.2022 को सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक ग्राम सेवक के आश्रित पुत्र होने के नाते, वह अनुकंपा नियुक्ति नीति का लाभ चाहता है। हालाँकि, दिनांक 19.09.2022 के आक्षेपित पत्र (अनुलग्नक-9) के माध्यम से, यह सूचित किया गया था कि उसके विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीकरणपुर की अदालत में दिनांक 29.06.2016 की एफआईआर संख्या 92/2016 से उद्भूत एक आपराधिक

मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323 और 143 के अपराध का लंबित है , इसलिए वह सरकारी नौकरी के लिए अपात्र है और अदालती मामले की समाप्ति के बाद उसके दावे पर विचार किया जाएगा। अतः यह याचिका प्रस्तुत है।

2. इस रिट याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं; मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों में से एक होने के नाते, याचिकाकर्ता ने आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए दिनांक 15.06.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया।

2.1. उसके उपर्युक्त आवेदन के लंबित रहने के दौरान, जसविंदर सिंह नामक व्यक्ति ने अपने पत्र दिनांक 31.05.2022 के माध्यम से शिकायत की कि याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध लंबित एफआईआर (उससे उद्भूत आपराधिक मामला) के कारण नियुक्ति नहीं दी जा सकती, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। जसविंदर सिंह एफआईआर में परिवादी है।

2.3. परिणामस्वरूप, कार्यालय पत्र दिनांक 19.09.2022, जो यहां चुनौतीगत है, के माध्यम से विकास अधिकारी, पंचायत समिति ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि कार्मिक विभाग, राजस्थान राज्य द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.12.2019 के अनुसार, वह अपात्र पाया गया है।

3. प्रतिवादीगण द्वारा अपनाया गया रुख, अन्य बातों के साथ-साथ, यह है कि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन में याचिकाकर्ता ने स्वयं उसके विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण के तथ्य का प्रकटीकरण नहीं किया। इसके बजाय, एफआईआर दर्ज कराने वाले परिवादी जसविंदर सिंह ने विभाग को उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामले की जानकारी देकर आपत्ति दर्ज कराई।

3.1. यह कथन किया गया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध 18.04.2019 को भारतीय दंड संहिता की धारा 341/34, 323/34, 324/34 और 325/34 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए थे। वर्तमान में मामला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीकरणपुर के समक्ष मुकदमा लंबित है। अतः कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांकित 04.12.2019 के अनुसार, याचिकाकर्ता की नियुक्ति उचित रूप से अस्वीकार कर दी गई है। इसलिए रिट याचिका खारिज की जाए।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ताओं के साथ-साथ प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ताओं को भी सुना है तथा मामले की पत्रावली का अवलोकन किया है।

5. आरंभ में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा नौकरी के लिए आवेदन के रूप में भरे जाने वाले विहित प्रपत्र में, ऐसा कोई कॉलम नहीं था जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता को किसी आपराधिक मामले में उसकी संलिप्तता की जानकारी को प्रकट करना पड़े। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की ओर से कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है/थी। किसी मामले में, आपराधिक मामले का मात्र लंबित होना याचिकाकर्ता की नियुक्ति को स्वतः ही अपात्र नहीं बनाता। विशेष रूप से तब, जब इससे उस पद की प्रकृति और गरिमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके लिए उसने नियुक्ति मांगी थी।

6. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने लिखित उत्तर में दिए गए रुख के आधार पर अपनी कार्रवाई के समर्थन में तर्क दिए हैं। उन्होंने याचिका को खारिज करने की मांग की है।

7. दोनों पक्षों को सुनने और अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात्, मैं इस मत का हूं कि याचिका अनुज्ञात किए जाने योग्य है। आइए, इसके कारणों को अभिलिखित करके, अनुयोज्य विधि के विश्लेषण एवं चर्चा तथा पूर्वोक्त परिपत्र दिनांक 04.12.2019 की व्याख्या के पश्चात्, देखें कि यह कैसे अनुज्ञात किया गया।

8. सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से, मैं प्रतिवादीगण के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूं कि भ्रामक प्रस्तुतीकरण या तथ्य छिपाए जाने के कारण याचिकाकर्ता किसी भी अनुतोष का हकदार नहीं है, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय उसने उसके विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले के तथ्य का प्रकटन नहीं किया था।

9. निर्विवाद रूप से, अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रतिवादीगण द्वारा विहित किए गए प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। आवेदन प्रपत्र में किसी आपराधिक मामले में अभ्यर्थी की संलिप्तता के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु कोई कॉलम या प्रश्न नहीं था। याचिकाकर्ता ने केवल विहित कॉलम के अनुसार जानकारी भरी और अपना आवेदन अनुलग्नक-ए-5 में प्रस्तुत किया। चूँकि आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थी की किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु कोई कॉलम या प्रश्न नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता को आपराधिक मामले में संलिप्तता के तथ्य के छिपाव या अप्रकटीकरण के लिए, यहाँ तक कि जानबूझकर प्रकट न करने के लिए भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

10. यहां तक कि अभिकथित भ्रामक प्रस्तुतीकरण के सम्बंध में, जैसा कि प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने संयाचना की, याचिकाकर्ता को उसी कारण से दोषी नहीं ठहराया जा सकता, अर्थात जब विहित आवेदन प्रपत्र में ही लंबित आपराधिक कार्यवाही का प्रकटन अनिवार्य नहीं था। ऐसी किसी

आवश्यकता के अभाव में, याचिकाकर्ता ने अन्य सभी औपचारिकताओं का विधिवत पालन किया। इसलिए, भ्रामक प्रस्तुतीकरण का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसके अलावा, आपराधिक मामले के लंबित रहने से ऐसे आरोप अंतर्वलित होना प्रतीत होते हैं जो या तो ईमानदारी, नैतिक अधमता, या लोक सेवा के लिए उपयुक्तता पर आघात पहुँचाते हैं। मामले का ऐसे लंबित रहना, अपने आप में किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए विचार किए जाने से वंचित नहीं करना चाहिए, यदि वह अन्यथा योग्य, उपयुक्त और पात्र हो। इसके अलावा, अनुकंपा नियुक्ति एक कल्याणकारी उपाय है जिसका उद्देश्य अपने एकमात्र कमाने वाले मृतक कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु के कारण आश्रितों द्वारा झेली जा रही गरीबी/आर्थिक कठिनाई को कम करना है, परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करके, और अति-तकनीकी आधार पर इसे अस्वीकार करना इसके मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगा।

11. आगे बढ़ते हुए, ***भीमसेन बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य***[1] (इसी पीठ द्वारा हाल ही में 17.03.2025 को दिए गए निर्णय द्वारा निर्णीत) मामले में, कांस्टेबल चालक के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय, याचिकाकर्ता ने "क्या आपके विरुद्ध कभी कोई एफआईआर दर्ज की गई है?" कॉलम के उत्तर में "नहीं" में उत्तर दिया था। हालांकि, सत्यापन के दौरान पता चला कि उसके विरुद्ध आईपीसी की धाराओं 323/324/ 147/148/149 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रतिवादीगण का रुख यह था कि महत्वपूर्ण कृत्य को छिपाने के कारण याचिकाकर्ता किसी भी अनुतोष का हकदार नहीं है। यह तर्क, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय ***रविंद्र कुमार बनाम राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य, निर्णीत दिनांक***

22 फरवरी 2024 पर निर्भर रहते हुए, अस्वीकार किया गया। उससे संबंधित (भीमसेन के निर्णय का) निष्कर्ष इसमें नीचे दिया गया है:-

> *5.* इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रश्नगत पद के लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय याचिकाकर्ता ने उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने का तथ्य प्रकट नहीं किया था। इसके कारण स्पष्ट एवं स्वयंसिद्ध हैं। वह इस दुविधा में रहा होगा कि यदि वह उक्त तथ्य का प्रकटीकरण करता, तो उसी स्तर पर अयोग्य ठहराए जाने की प्रबल संभावना थी। उसे चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मंजूर नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उसकी उक्त दुविधा प्रतीततः इस सद्भावनापूर्ण विश्वास से उत्पन्न हुई कि उसे एफआईआर में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है, क्योंकि उसमें उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई भूमिका मानी नहीं की गई थी। वह मुख्य अभियुक्त भी नहीं था; यद्यपि घटनास्थल पर उपस्थित व्यक्तियों की सभा का हिस्सा होने के कारण उसे अभियुक्त के रूप में आरोपित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एफआईआर पंजीबद्ध की गई ।
>
> *6.* कुछ हद तक समान परिस्थितियों में, ***रवींद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 5902/2012), जिसका निर्णय 22 फरवरी 2024*** को हुआ था, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान प्रकरण के सदृश एक मुद्दे पर विचार किया था, जहाँ एक अभ्यर्थी ने शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है। इस स्थिति पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

---

1 एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 9380/2021

2 सिविल अपील संख्या 5902/2012, 22.02.2024 को निर्णीत

> *"29. xxx xxx xxx* यह परीक्षण करते समय कि क्या प्राधिकारी द्वारा जांच के लिए अपनाई गई प्रक्रिया निष्पक्ष और उचित थी, हम पाते है कि *12.04.2005* का रद्दकरण आदेश इस निर्णय के पूर्वत्तर भाग में उपवर्णित चरित्र के सत्यापन के फॉर्म के खंड *4* में विहित आदेश का पालन भी नहीं करता है। जैसा कि ***राम कुमार (पूर्वोक्त)*** में पाया गया था, इस बात पर विचार करने के बजाय कि क्या अपीलार्थी नियुक्ति के लिए उपयुक्त था, नियुक्ति प्राधिकारी ने यांत्रिक रूप से माना है कि उसका चयन अनियमित और अवैध था क्योंकि अपीलकर्ता ने गलत तथ्यों के साथ एक शपथपत्र प्रस्तुत किया था। इसलिए, ***सतीश चंद्र यादव (पूर्वोक्त)*** के पैरा *93.7* में उपवर्णित बोर्ड

सिद्धांतों को लागू करने पर भी, हम पाते हैं कि *12.04.2005* का रद्दकरण आदेश न तो निष्पक्ष है और न ही उचित है। भर्ती अधिसूचना के खंड *9* को इसमें ऊपर उपवर्णित मामले में अधिकथित कानून के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।

30. इसमें ऊपर उपवर्णित मामले के तथ्यों पर तथा विशेष परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में, दुर्भाग्यपूर्ण आपराधिक मामला *(*जिसकी समाप्ति भी दोषमुक्ति के साथ हुई*)* का अप्रकटन, किस परिदृश्य में आता है*?* मामले के विशिष्ट तथ्यों पर हमारी राय में, हमें नहीं लगता कि इसे अपीलार्थी के लिए घातक माना जा सकता है। बोर्ड द्वारा प्रत्येक अप्रकटीकरण को अयोग्यता मानकर उसे नज़रअंदाज़ करना अन्यायपूर्ण होगा और यह इस महान, विशाल और विविधताओं वाले देश की आधारिक वास्तविकताओं से पूरी तरह अनभिज्ञ होने के समान होगा। प्रत्येक मामला उन तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा जो उस पर प्रभावी हैं, और न्यायालय को उपलब्ध उदाहरणों को मार्गदर्शक के रूप में लेते हुए, वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह किसी भी स्थिति में सभी मामलों पर समान रूप से लागू होने वाली एकरूप स्थिति नहीं हो सकती ।

7. उपरोक्त के विपरीत, प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ***राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड बनाम अनिल कंवरिया, (2021) 10 एससीसी 136*** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक अन्य निर्णय पर निर्भर रहते हैं, जिसमें यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:-

12. इस मुद्दे/प्रश्न पर दूसरे दृष्टिकोण से, नियोक्ता के दृष्टिकोण से, विचार किया जा सकता है। प्रश्न यह नहीं है कि क्या कोई कर्मचारी किसी तुच्छ प्रकृति के विवाद में शामिल था और उसके बाद उसे दोषमुक्त कर दिया गया या नहीं। प्रश्न ऐसे कर्मचारी की विश्वसनीयता और/या भरोसेमंदता का है, जिसने नियुक्ति के प्रारंभिक चरण में, अर्थात् घोषणा/सत्यापन प्रस्तुत करते समय और/या किसी पद के लिए आवेदन करते समय, किसी आपराधिक मामले में शामिल होने की झूठी घोषणा की और/या तथ्य प्रकट नहीं किया और/या उसे छिपाया। यदि सही तथ्य प्रकट किए गए होते, तो नियोक्ता उसे नियुक्त ही नहीं करता। तब प्रश्न विश्वास का है। अतः, ऐसी स्थिति में, जहाँ नियोक्ता को लगता है कि किसी कर्मचारी ने प्रारंभिक चरण में ही मिथ्या कथन किया है और/या तात्विक तथ्य प्रकट नहीं किया है और/या तथ्य छिपाए हैं और इसलिए उसे सेवा में जारी नहीं रखा जा सकता क्योंकि ऐसे कर्मचारी पर भविष्य में भी भरोसा

नहीं किया जा सकता, नियोक्ता को ऐसे कर्मचारी को सेवा में बनाए रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसे कर्मचारी को सेवा में बनाए रखने या न रखने का विकल्प हमेशा नियोक्ता को ही दिया जाना चाहिए। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा गया है और जैसा कि निर्णय की श्रृंखला में ऊपर देखा गया है, ऐसा कर्मचारी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है और/या अधिकार के रूप में सेवा में बने रहना जारी नहीं रख सकता है।"

8. यद्यपि इसमें इसके ऊपर अंतर्विष्ट टिप्पणियां, निस्संदेह नियोक्ता को भौतिक तथ्यों के प्रकटीकरण न करने/छिपाने के मामले में अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करने का विवेकाधिकार देती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह अभ्यर्थी द्वारा प्रकटीकरण न करने के कारण नियोक्ता के विश्वास में कमी का मामला है*?*

9. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता को खारिज करना विश्वास की कमी पर आधारित नहीं लगता है, बल्कि यह केवल एक यांत्रिक दिमागी प्रयोग है, जिसमें कहा गया है कि चूंकि *(i)* उसने एफआईआर दर्ज करने की बात छिपाई थी*;* और *(ii)* एफआईआर दर्ज होने से वह अयोग्य हो जाता है, इसलिए वह नियुक्ति के योग्य नहीं है।

10. आक्षेपित आदेश यह परावर्तित नहीं करता है कि विवेक के स्वतंत्र प्रयोग से कोई वस्तुनिष्ठ विचार अपनाया गया था। निर्णय मात्र याचिकाकर्ता की अपात्रता के संबंध में था, और इसी कारण उसे अयोग्य ठहराया गया।"

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि ***रविन्द्र कुमार*** **(**पूर्वोक्त**)** मामले में ***अवतार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य***[3] में सर्वोच्च न्यायालय के एक वृहद पीठ के निर्णय पर भरोसा किया गया है ।

12. यहां याचिकाकर्ता का मामला काफी मजबूत है और उच्चतर स्तर पर खड़ा है। निस्संदेह, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रतिवादीगण द्वारा विहित किये गए प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। उनके मामले में, आवेदन के प्रपत्र में किसी भी आपराधिक मामले में अभ्यर्थी की संलिप्तता के बारे में जानकारी लाने के लिए कोई कॉलम या प्रश्न नहीं था। याचिकाकर्ता ने केवल विहित कॉलम के अनुसार आवश्यक जानकारी भरी और अपना आवेदन अनुलग्नक ए-5 प्रस्तुत किया। चूंकि आवेदन प्रपत्र में

किसी भी आपराधिक मामले में अभ्यर्थी की संलिप्तता के बारे में जानकारी मांगने वाला कोई कॉलम या प्रश्न नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता को इसके अप्रकटीकरण के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में, जैसा भी मामला हो। यह स्थिति होने के नाते, मुझे कारण नहीं दिखता कि उपरोक्त निर्णय का लाभ याचिकाकर्ता को क्यों न दिया जाए।

---

3 (2016) 8 एससीसी 471

13. अब प्रतिवादीगण द्वारा उठाए गए प्रतिरक्षा के मुख्य आधार अर्थात परिपत्र दिनांक 04.12.2019 (यह हिंदी और अंग्रेजी में है) पर ध्यान दें, इसका सुसंगत भाग निम्नानुसार है:-

> "अतः शासन में सभी स्तरों पर एकरूपता बनाए रखने के हित में, इस विषय में पूर्व में जारी तत्संबंधी सभी परिपत्रों/निर्देशों के अधिक्रमण में निम्नानुसार दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं :-
>
> चरित्र सत्यापन के संबंध में विभिन्न सेवा नियमों में प्रावधान इस प्रकार हैं :-
>
> चरित्र। सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए योग्य बनाए। उसे उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के प्राचार्य/शैक्षणिक अधिकारी से अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जहाँ उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की थी और ऐसे दो प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि से छह माह से अधिक पूर्व के न हों, दो ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत करने होंगे जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंधित न हों और न ही उससे संबंधित हों।
>
> *(1)* न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि मात्र अपने आप में अच्छे चरित्र के प्रमाण पत्र से इनकार किए जाने का कारण नहीं होती। दोषसिद्धि की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और यदि उनमें कोई नैतिक अधमता या हिंसा के अपराधों से या किसी

ऐसे आंदोलन से जुड़ाव शामिल नहीं है जिसका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसक तरीके से उखाड़ फेंकना हो, तो केवल दोषसिद्धि को निरर्हता नहीं माना जाना चाहिए।

(2) ऐसे पूर्व कैदियों के साथ, जो जेल में अपने अनुशासित जीवन और उसके बाद के अच्छे आचरण से पूरी तरह सुधरे हुए साबित हुए हैं, सेवा में नियुक्ति के उद्देश्य से उनकी पूर्व दोषसिद्धि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जिन लोगों को नैतिक अधमता या हिंसा से संबंधित अपराधों के अलावा किसी अन्य अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, उन्हें उत्तररक्षा गृह के अधीक्षक से या यदि किसी विशेष जिले में ऐसे गृह नहीं होने पर, उस जिले के पुलिस अधीक्षक से इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर पूर्णतः सुधरे हुए माने जाएंगे।

(3) नैतिक अधमता या हिंसा से संबंधित अपराधों के लिए दोषसिद्ध ऐसे व्यक्तियों को, उत्तररक्षा गृह के अधीक्षक से, या यदि किसी विशेष जिले में ऐसा कोई गृह नहीं होने पर, उस जिले के पुलिस अधीक्षक से, कारागार महानिरीक्षक द्वारा समर्थित, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे नियोजन के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि उन्होंने जेल में रहते हुए अपने अनुशासित जीवन और उत्तररक्षा गृह में अपने पश्चात्वर्ती सदाचार से यह सिद्ध कर दिया है कि वे पूर्णतः सुधर गए हैं।

इस संबंध में प्रकरण मान. सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिल्ली प्रशासन बनाम सुशील कुमार (1996 (11) CC 605) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है कि "सेवा में नियुक्ति प्रदान करते समय अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्व आचरण महत्वपूर्ण है। आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति अर्थात् वास्तविक परिणाम इतना सुसंगत नहीं है जितना की अभ्यर्थी का आचरण व चरित्र।"

सेवा नियमों की अपेक्षा यह है कि 'किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति दिए जाने या न दिए जाने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं जिस पद पर नियुक्ति दी जानी है उस पद के कार्य की प्रकृति एवं गरिमा के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय लेना चाहिए। पूर्व आचरण के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के योग्य या अयोग्य पाने का निर्णय करते समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रत्येक प्रकरण में अपराध की परिस्थितियों को भी ध्यान में रख कर अभ्यर्थी के आचरण का आंकलन करना चाहिए।'

उक्तानुसार यह निर्विवाद है कि किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति दिए जाने / नहीं दिए जाने का निर्णय अंतिम रूप से नियुक्ति प्राधिकारी को ही, सुसंगत सेवा नियमों को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण के आधार पर लेना होगा। तथापि कुछ प्रकरण ऐसी प्रकृति के होंगे जिनमें स्पष्टतः यह माना जा सकता है कि अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है जबकि अन्य कुछ ऐसे प्रकरण भी होंगे जिनमें नियुक्ति से वंचित किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित/न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। अतः नियुक्ति अधिकारियों के सामान्य मार्गदर्शनार्थ निदर्शन के रूप में ऐसी प्रकृति के प्रकरणों को यहां लेखबद्ध किया जा रहा है :-

1. ऐसे प्रकरण/स्थितियाँ जिनमें नियुक्ति हेतु अपात्रता मानी जानी चाहिए:-

यदि किसी भी अभ्यर्थी के विरुद्ध निम्न में से किसी भी प्रकार के अपराध के तहत प्रकरण **अन्वेक्षणाधीन/न्यायालय में विचाराधीन (under trial)** है अथवा दोषसिद्धि उपरांत सजा हो चुकी है, तो उसे राज्य के अधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना जाना चाहिए:-

(i) नैतिक अधमता यथा छल, कूटरचना, मत्तता, बलात्संग, किसी महिला की लज्जा भंग करने के अपराध में अन्तर्वलितता (involvement) हो।

(ii) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 26) में यथापरिभाषित अवैध व्यापार में अन्तर्वलितता हो।

(iii) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 104) में यथापरिभाषित अनतिक दुर्व्यापार में अन्तर्वलितता हो।

(iv) नियोजित हिंसा या राज्य के विरुद्ध ऐसे किसी अपराध में अन्तर्वलितता हो, जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) के अध्याय 6 में वर्णित है।

(v) भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16 एवं 17 में यथावर्णित अपराधों में अन्तर्वलितता हो।

(vi) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148 (बलवा करना) के अपराध में अन्तर्वलितता हो।

(vii) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 A (स्त्रियों के प्रति आपराधिक दुर्व्यवहार-दहेज) के अपराध में अन्तर्वलितता हो।

(viii) अजा/अजजा अधिनियम 1989 के तहत अपराध में अन्तर्वलितता हो।

(ix) **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो), 2012 के तहत अपराध में अन्तर्वलितता हो।**

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रकार के अपराधों से संबंधित कोई भी सूचना जानबूझकर छिपाने वाले अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति हेतु अपात्र माना जाएगा।

2. ऐसे प्रकरण/स्थितियां जिनमें अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु पात्र माना जाना चाहिए:-

(i) **जिन अभ्यर्थियों को आपराधिक प्रकरण में अन्वेषण में दोषी नहीं पाया गया हो तथा संबंधित भर्ती में परीक्षा परिणाम जारी होने के एक वर्ष के भीतर अन्वेषणोपरांत एफ.आर. न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी हो।**

(ii) **दोषमुक्ति के मामलों में, विभाग में इस संबंध में गठित समिति जिसमें एक पुलिस अधिकारी भी सदस्य होगा, अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त (antecedents), आरोपों की गहनता एवं दोषमुक्ति का आधार, अर्थात क्या दोषमुक्ति सम्मानजनक रूप से प्रदान की गई है अथवा संदेह के लाभ/समझौते के आधार पर प्रदान की गई है,**

आदि का समुचित परीक्षण कर, अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के संबंध में निर्णय लेगी।

(iii) अभ्यर्थियों के ऐसे प्रकरण जिनमें न्यायालय द्वारा परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 का लाभ दिया जाकर परिवीक्षा पर छोड़ा गया हो। (दोषसिद्धि किसी निरर्हता से ग्रस्त नहीं/राजकीय सेवा/ भावी जीवन पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं)।

(iv) अभ्यर्थियों के ऐसे प्रकरण जिनमें दोषी करार दिया जाकर **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2005 की धारा 24(i) का लाभ प्रदान किया गया हो।**

समस्त नियोक्ता अधिकारीगण से अपेक्षा की जाती है कि वे अभ्यर्थियों के चरित्र/पुलिस सत्यापन के संबंध में नियुक्ति के समय संबंधित सेवा नियमों के प्रावधानों एवं इन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए समुचित निर्णय लेंगे। तथा उक्त प्रकृति के प्रकरणों को न तो अनावश्यक रूप-से लम्बित रखेंगे और न ही कार्मिक विभाग को संदर्भित करेंगे।"

14. दिनांक 04.12.2019 के परिपत्र के पाठ से यह देखा जा सकता है कि यह संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले सामान्य दिशानिर्देशों की प्रकृति का है और किसी अभ्यर्थी की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता को न्यायनिर्णीत करने का अंतिम निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया जाना है। इसके अलावा, उक्त परिपत्र में यह अधिकथित किया गया है कि किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति करते समय उसका चरित्र; और पहले का आचरण महत्वपूर्ण है। आपराधिक मामले का परिणाम - चाहे दोषसिद्धि हो या दोषमुक्ति - उतना सुसंगत नहीं है जितना कि उसका आचरण और चरित्र। ये दिशानिर्देश यह भी दर्शाते हैं कि सेवा नियमों के अनुसार, आपराधिक अपराधों (स्पष्ट रूप से कोई भी अपराध, जिसमें भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता) के अध्याय XVI और XVII में आने वाले अपराध या नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध शामिल

हैं) के लिए दोषसिद्धि और सजा सुनाए जाने के बाद भी किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए कोई पूर्ण या स्वचालित निरर्हता नहीं है और कतिपय शर्तों को तुष्ट करने पर, ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता है।

14.1. परिपत्र में वैयक्तिक मूल्यांकन पर बल दिया गया है, और यह सही भी है, कि इसका उद्देश्य कोई कठोर नियम पुस्तिका नहीं है, बल्कि इसमें दिए गए सामान्य दिशानिर्देशों को ध्यान में रखना है। संदर्भ महत्व रखते है। इसलिए, किसी अभ्यर्थी की उपयुक्तता के बारे में अंतिम निर्णय प्रत्येक मामले के आधार पर लिया जाना चाहिए। इससे नियुक्ति प्राधिकारी को केवल आपराधिक कार्यवाही के परिणाम पर निर्भर रहने के बजाय, अभ्यर्थी के चरित्र और पूर्ववर्ती आचरण की समग्रता को देखने का अवसर मिलता है।

14.2. यह उन मामलों में कहीं अधिक सुसंगत हो जाता है जहाँ किसी अभ्यर्थी ने कोई लघु या अलग-थलग अपराध किया हो, और समय के साथ उसके कठोर सुधार और सदाचरण का मामला भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे केवल नियमित प्रक्रियाओं द्वारा खारिज कर दिया जाता है। परिपत्र में अन्तर्विष्ट दिशानिर्देशों को इतना कठोर नहीं माना जाना चाहिए कि इस संभावना की भी अनुमति न मिले कि किसी अभ्यर्थी का अतीत, भले ही वह संदिग्ध या विचाराधीन होने के कारण खराब हुआ हो, बाद में सुधार और अनुकरणीय व्यवहार से कमतर हो सकता है। वर्तमान मामले में प्रश्नगत एफआईआर के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिवृत्त दर्ज नहीं है, और वह भी किसी व्यक्तिगत विवाद के कारण उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। इसके बारे में बाद में विस्तार से बताया जाएगा।

15. इस स्तर पर ***अवतार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य (2016) 8 एससीसी 471*** में 21.07.2016 को दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों के निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह माना गया था कि यद्यपि नियोक्ता के लिए अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त को न्यायनिर्णीत करना खुला है, लेकिन अंतिम कार्रवाई सभी सुसंगत पहलुओं पर उचित विचार के बाद वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए।

16. उपयुक्त होने के नाते, अवतार सिंह निर्णय का सुसंगत भाग सुलभ संदर्भ हेतु नीचे उद्धृत किया गया है:-

> *"30.* नियोक्ता को सेवा समाप्त करने या अन्यथा चूक को क्षमा करने का "विवेकाधिकार" दिया गया है। वैसे भी, किसी भी स्थिति में, जब सत्यापन प्रपत्र भरते समय घोषणाकर्ता को पहले ही दोषसिद्ध/दोषमुक्त किया जा चुका हो, तब नियोक्ता के पास निर्णय लेने का अधिकार निहित होता है, तो ऐसे मामले में, यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नगत सेवाओं के लिए किसी पदधारी की उपयुक्तता का न्यायनिर्णयन करते समय सभी तथ्यों और आसन्न परिस्थितियों, जिनमें छिपाई गई जानकारी या गलत जानकारी का प्रभाव भी शामिल है, को ध्यान में रखा जाता है। यदि नियोक्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि छिपाई गई जानकारी तत्वहीन है और यदि तथ्यों का प्रकटन भी किया गया होता, तो इससे पदधारी की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, तो दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उसे चूक को क्षमा करने का अधिकार है। हालाँकि, ऐसा करते समय नियोक्ता को पद की प्रकृति और निभाए जाने वाले कर्तव्यों का सम्यक् ध्यान रखकर व्यवहार कुशलता से कार्य करना होगा। उच्च अधिकारियों/उच्च पदों के लिए, मानक बहुत ऊँचे होने चाहिए और थोड़ी सी भी मिथ्या जानकारी या छिपाई जाना किसी व्यक्ति को पद के लिए अनुपयुक्त बना सकती है। हालाँकि, प्रत्येक पद पर एक ही मानक लागू नहीं किया जा सकता। निस्तारित आपराधिक प्रकरणों में यह देखा गया है कि जो छिपाया गया है वह तात्विक तथ्य है तथा इससे एक पदधारी

नियोजन के लिए अयोग्य बना दिया गया होगा। किसी नियोक्ता के लिए विभिन्न पहलुओं पर सम्यक् विचार करने के बाद ऐसे पदधारी की नियुक्ति न करना या यदि नियुक्त किया गया है तो उसकी सेवाएं समाप्त करना न्यायोचित होगा। भले ही प्रकटन सच्चाई से किया गया हो, नियोक्ता को योग्यता पर विचार करने का अधिकार है और ऐसा करते समय दोषसिद्धि के प्रभाव और मामले की पृष्ठभूमि के तथ्यों, अपराध की प्रकृति आदि पर विचार किया जाना चाहिए। भले ही दोषमुक्त कर दिया गया हो, नियोक्ता अपराध की प्रकृति पर विचार कर सकता है, चाहे दोषमुक्ति सम्मानजनक हो या तकनीकी कारणों से संदेह का लाभ देना हो और अयोग्य या संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति को नियुक्त करने से इनकार कर सकता है। यदि नियोक्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आपराधिक मामले में दोषसिद्धि या दोषमुक्ति का आधार नियोजन के लिए योग्यता को प्रभावित नहीं करेगा, तो पदधारी को नियुक्त किया जा सकता है या सेवा में बनाए रखा जा सकता है।

xxx xxx xx

34. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपयुक्तता का आकलन करने के लिए चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है और नियोक्ता को पदधारी के पूर्ववृत्त का न्यायनिर्णयन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन अंतिम कार्रवाई सभी सुसंगत पहलुओं पर उचित विचार के बाद वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए।

35. "महत्वपूर्ण" जानकारी को दबाने का तात्पर्य यह है कि जो दबाया गया है वह "महत्व रखता" है, न कि प्रत्येक तकनीकी या तुच्छ मामला। नियोक्ता को अभ्यर्थिता रद्द करने या कर्मचारी की सेवाएँ समाप्त करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करते समय, यदि कोई हों, तो नियमों/निर्देशों पर उचित विचार करके कार्य करना होगा। हालाँकि, जिस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है, वह नियुक्ति या सेवा में निरंतरता के लिए अप्रतिबंधित अधिकार का दावा नहीं कर सकता, लेकिन उसे यह अधिकार है कि उसके साथ मनमाना व्यवहार न किया जाए और शक्ति का प्रयोग निष्पक्षता के साथ, मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उचित तरीके से किया जाना चाहिए।

36. कौन सा मानदंड लागू किया जाए, यह पद की प्रकृति पर निर्भर करता है। उच्च पदों के लिए, केवल वर्दीधारी सेवा के लिए ही नहीं, सभी सेवाओं के लिए अधिक कठोर मानदंड अंतर्वलित होंगे। निचले पदों के लिए, जो संवेदनशील नहीं हैं, कर्तव्यों की प्रकृति, उपयुक्तता पर दमन के प्रभाव पर संबंधित अधिकारियों द्वारा पद/कर्तव्यों/सेवाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए और विभिन्न पहलुओं पर सम्यक् ध्यान दिया जाकर शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

37. "मैकार्थीवाद" सांविधानिक लक्ष्य के विपरीत है, उपयुक्त मामलों में युवा अपराधियों को सुधार का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, सुधारात्मक सिद्धांत की परस्पर क्रिया को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है और न ही इसे सामान्य रूप से लागू किया जा सकता है, लेकिन अभ्यर्थिता रद्द करने या किसी कर्मचारी को सेवा से उन्मोचित करने की शक्ति का प्रयोग करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

38. हमने विभिन्न निर्णयों पर ध्यान दिया है और यथासंभव उन्हें समझाने और उनमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निष्कर्ष को इस प्रकार संक्षेपित करते हैं:

38.1. किसी अभ्यर्थी द्वारा नियोक्ता को दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या गिरफ्तारी, या किसी आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में दी गई जानकारी, चाहे सेवा में आने से पहले या बाद में, सत्य होनी चाहिए तथा अपेक्षित जानकारी को छिपाया या मिथ्या नहीं बताया जाना चाहिए।

38.2. मिथ्या सूचना देने पर सेवा समाप्ति या अभ्यर्थिता रद्द करने का आदेश पारित करते समय, नियोक्ता ऐसी सूचना देते समय मामले की विशेष परिस्थितियों, यदि कोई हो, का ध्यान रख सकता है।

38.3. नियोक्ता निर्णय लेते समय कर्मचारी पर लागू सरकारी आदेशों/निर्देशों/नियमों को ध्यान में रखेगा।

38.4. यदि किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता की सूचना छिपाई गई हो या मिथ्या सूचना दी गई हो, जिसमें

आवेदन/सत्यापन प्रपत्र भरने से पहले ही दोषसिद्धि या दोषमुक्ति अभिलिखित की जा चुकी हो और ऐसा तथ्य बाद में नियोक्ता के संज्ञान में आता है, तो निम्नलिखित में से कोई भी उपाय, जो मामले के लिए उपयुक्त है, अपनाए जा सकते है:

38.4.1. तुच्छ प्रकृति के ऐसे मामले में, जिसमें दोषसिद्धि अभिलिखित की गई थी, जैसे कि कम उम्र में नारे लगाना या कोई लघु अपराध के लिए, जिसको यदि प्रकट किया जाए तो प्रश्नगत पद के लिए कोई पदधारी अयोग्य नहीं होगा, नियोक्ता अपने विवेकानुसार, इस चूक को अनदेखा करके तथ्य को छिपाने या मिथ्या सूचना देने की बात को नजरअंदाज कर सकता है।

38.4.2. जहां किसी मामले में दोषसिद्धि अभिलिखित की गई है, जो कि तुच्छ प्रकृति का नहीं है, नियोक्ता कर्मचारी की अभ्यर्थिता रद्द कर सकता है या उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है।

38.4.3. यदि नैतिक अधमता या जघन्य/गंभीर प्रकृति के अपराध से संबंधित मामले में तकनीकी आधार पर पहले ही दोषमुक्ति अभिलिखित की जा चुकी है और यह स्पष्ट दोषमुक्ति का मामला नहीं है, या युक्तियुक्त संदेह का लाभ दिया गया है, तो नियोक्ता पूर्ववर्ती के संबंध में उपलब्ध सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार कर सकता है, और कर्मचारी की सेवा जारी रखने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है।

38.5. ऐसे मामले में जहां कर्मचारी ने समाप्त हो चुके आपराधिक मामले की घोषणा सत्यतापूर्वक की है, नियोक्ता को अभी भी पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है, और उसे अभ्यर्थी को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

38.6. यदि किसी मामले में चरित्र सत्यापन प्रपत्र में तुच्छ प्रकृति के आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में सत्यतापूर्वक तथ्य घोषित किया गया हो, तो नियोक्ता, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, अपने विवेकानुसार, ऐसे मामले के निर्णय के अधीन अभ्यर्थी को नियुक्त कर सकता है।

38.7. कई लंबित मामलों के संबंध में जानबूझकर तथ्य छिपाने के मामले में ऐसी मिथ्या जानकारी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगी और नियोक्ता अभ्यर्थिता रद्द करने या सेवाएं समाप्त करने

का समुचित आदेश पारित कर सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध कई आपराधिक मामले लंबित है, को नियुक्त किया जाना उचित नहीं होगा।

38.8 यदि कोई आपराधिक मामला लंबित था, लेकिन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को इसकी जानकारी नहीं थी, तो भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और नियुक्ति प्राधिकारी अपराध की गंभीरता पर विचार करने के बाद निर्णय लेगा।

38.9. किसी कर्मचारी की सेवा में स्थाई होने की दशा में, सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी छिपाने या प्रस्तुत करने के आधार पर सेवा समाप्ति/निष्कासन या पदच्युति का आदेश पारित करने से पहले विभागीय जांच करना आवश्यक होगा।

38.10. छिपाई गई या गलत जानकारी का निर्धारण करने के लिए सत्यापन/सत्यापन प्रपत्र विशिष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं। केवल वही जानकारी प्रकट की जानी चाहिए जिसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक था। यदि नियोक्ता को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो मांगी नहीं गई है, लेकिन सुसंगत है, तो योग्यता के प्रश्न का समाधान करते समय उस पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में किसी तथ्य के बारे में जानकारी छिपाने या मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, जिसके बारे में पूछा ही नहीं गया था।

38.11. किसी व्यक्ति को सत्य का गोपन या असत्य के सुझाव का दोषी ठहराए जाने से पूर्व, उसे तथ्य की जानकारी होना माना जाना चाहिए।

17. पूर्वोक्त के आलोक में, पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि दिनांक 04.12.2019 के परिपत्र (अनुलग्नक आर-1) में स्वयं कहा गया है कि यह सामान्य दिशानिर्देशों की प्रकृति का है और अंतिम निर्णय - किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करना है या नहीं - प्रत्येक मामले में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों, कार्य की प्रकृति और पद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपनी योग्यता

के आधार पर लिया जाना है; प्रत्येक मामले में, अभ्यर्थी की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता पर निर्णय लेते समय, नियुक्ति प्राधिकारी को अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के चरित्र का आकलन करना चाहिए।

18. जैसा कि पहले ही देखा गया है, वर्तमान मामले में, यह दर्शित करने के लिए कोई भी अभिवचन या सामग्री अभिलेख पर नहीं रखी गई है कि नियुक्ति प्राधिकारी ने मामले के तथ्यों और परिस्थतियों पर सम्यक् और वस्तुपरक ध्यान देकर तथा मस्तिष्क का प्रयोग करने के पश्चात् याचिकाकर्ता को नियुक्त करने से इनकार करने के लिए इसके गुणावगुण पर कोई सचेत निर्णय लिया था। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्री करणपुर, जिला श्री गंगानगर ने 19.09.2022 के आक्षेपित पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को केवल यह सूचित किया कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र पत्र दिनांक 04.12.2019 के अनुसार, वह उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले के कारण अनुकंपा के आधार पर ग्राम विकास अधिकारी ('वीडीओ') के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य पाया गया था और; न्यायालय में लम्बित मामले के समापन के बाद उसके दावे पर विचार किया जाएगा। मेरी राय में प्रतिवादी संख्या 3 की यह कार्रवाई, सम्बंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूरी तरह से मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना, प्रतिवादीगण द्वारा अपनाए गए मात्र एक यांत्रिक दृष्टिकोण से अधिक नहीं कहा जा सकती है।

19. परिवादी जसविंदर सिंह के साथ विवाद से उत्पन्न याचिकाकर्ता पर आरोपित अभिकथित अपराधों की ओर पुनः लौटते हुए, आपराधिक मामला अर्थात भा.दं.सं की धारा 341/323/143/382 के अंतर्गत

एफआईआर संख्या 92/2016 (अनुलग्नक-ए-7) के बारे में कुछ तथ्य ध्यान देने योग्य हैं, जो 20 वर्षीय जसविंदर सिंह ने उस समय 22 वर्षीय याचिकाकर्ता के विरुद्ध पुलिस थाना, गजसिंहपुर में दर्ज कराई थी। इसका सुसंगत अंश इस प्रकार है:-

> "थाना जसविन्द्रसिंह दिनांक 29.6.16 स्थान सीएचसी जीएचपीआर समय 8एएम श्री जसविन्द्रसिंह पुत्र सुखविन्द्रसिंह उम्र 20 वर्ष जाति गठिया निवासी 2 एफएफए रहने वाला हूं आज सुबह 5.30 एएम पर मेरे घर कुलजीतसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 2एफएफए जिसने मुझे आवाज लगाकर बुलाकर कहा कि रेस लगाने चलते हैं दोनों के साथ घर से साथ घर से चल कर 2 एफएफए से 3 एफएफए तरफ की रोड पर दौड़ लगाने आ गये जब हम आत्मासिंह के बाग के पास पंहुचे तो बाग में से चार लोग और आये जिनमें से एक लड़का कुलजीतसिंह मासी का लड़का था और अन्य तीन को मैं नहीं जानता जिन्होंनें पांचों ने एक राय होकर मेरे साथ कुछ बिना बताये लाठी व सरीया से अचानक मेरे साथ मारपीट की जिससे मुझे कुलजीतसिंह ने मेरे सिर पर सामने चोट मारी वह उसकी मासी के लड़के ने लाठी से कंधे पर पीछे पीठ पर चोट मारी जिससे मेरे सिर में दो जगह खून आ रहा है अन्य तीनों नें मेरे पैर पर डण्डों से चोट व पीठ पर पीछे काफी चोटें मारी जिससे मुझे पीड़ा व दर्द जाहिर हो रहा है उसके बाद पांचों वहीं पर पड़ा छोड़कर चले गए उसके बाद पवन जोतसिंह आया जिसने मुझे उठाकर मेरे घर तक छोड़ा तब मजरुब का मौके से मोबाईल छीनकर ले आये एसडी जसविन्द्र सिंह, एसडी सुभाष चन्द केम्प सीएची गजसिंहपुर पीएस गजसिंहपुर आज दिनांक 29.6.16 के वक़्त 8 एएम पर उपरोक्त मजरुब जसविन्द्र सिंह पुत्र सुखजिन्द्रसिंह जाति रामगठिया उम्र 20 साल निवासी 2 एफएफए थाना गजसिंहपुर के बोले अनुसार पर्चा बयान तहरीर किये गये मजमून पर्चा बयान से जुर्म धारा 341,323,143,382 आईपीसी का घटित होना पाया गया है मजरुब को पर्चा बयान पुनः पढ़कर सुनाये सुन समझ सही मान अपने हस्ताक्षर करता है आईन्दा थाना पंहुच अभियोग पंजीबद्ध किया जावेगा। एसडी जसविन्द्रसिंह, एसडी सुभाष चन्द्र एसीची पीएस गजसिंहपुर केम्प सीएची

> गजसिंहपुर पीएस गजसिंहपुर आज दिनांक 29.6.16 के वक्त 10 एएम पर श्री सुभाष चन्द्र एचसी 133 बहवाले रवानगी रपट संख्या 1104ता हाजा का गया हुआ वापस आया पर्चा बयान मजरुब जसविन्द्र सिंह पर अभियोग संख्या 92/16 धारा 341,323,143,382 आईपीसी पीएस गजसिंहपुर में दर्ज कर अनुसंधान कर श्री सुभाष चन्द्र एचसी 133 को सुपुर्द किया गया। एफआईआर प्रतियां निम्नानुसार जारी की गई।"

20. यह देखा जा सकता है कि एफआईआर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि जब सुबह लगभग 05:30 बजे कुलजीत सिंह अर्थात याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता के घर आया और उसे दौड़ में शामिल होने के लिए बुलाया, तब याचिकाकर्ता किसी भी हथियार जैसे डंडे, लाठी या सरिया से लैस था। इसके अलावा, हालांकि एफआईआर में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने उसके सिर पर वार किया, परंतु यह मौन है कि कुलजीत सिंह ने किस विशिष्ट हथियार से वार किया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि एफआईआर में याचिकाकर्ता की शिकायतकर्ता के खिलाफ किसी भी पूर्व दुर्भावना, वैमनस्य या शत्रुता या किसी भी परिस्थिति का जिक्र नहीं है जो यह दिखाए कि याचिकाकर्ता ने अपराध करने के लिए अन्य हमलावरों के समान आशय साझा किए।

21. जैसा भी हो, इन तथ्यों और बिंदुओं पर विचार करते हुए, मैं इस मत का हूं कि यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता पर लगाए गए अपराधों की प्रकृति और उससे संबंधित परिस्थितियां ऐसी हैं जो उसके कर्तव्यों/कृत्यों और उस पद की गरिमा, जिसके लिए वह इच्छुक है, पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं ।

22. प्रतिवादीगण ने निःसंदेह याचिकाकर्ता को आक्षेपित पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि उसके दावे पर न्यायालय में लम्बित मामले के समापन के बाद विचार किया जाएगा। मेरी राय में, इस स्तर पर वाद में

याचिकाकर्ता को देय राहत देने से इनकार करना न्यायोचित नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति की योजना का उद्देश्य किसी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु के बाद, अचानक उत्पन्न वित्तीय संकट से उबरने के लिए उसके परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करना है। आपराधिक मामले का निष्कर्ष, जो सर्वोच्च न्यायालय तक भी जा सकता है, काफी लंबा समय लेगा। तब तक याचिकाकर्ता को अनिश्चितता में प्रतीक्षारत रखना अन्यायपूर्ण और अनुचित होगा। इसके अलावा, समय बीतने के साथ, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं और याचिकाकर्ता के विरुद्ध और अधिक बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे आयु सीमा और तब तक संकटग्रस्त परिवार की निर्वाह करने की क्षमता, जिससे याचिकाकर्ता का अनुकंपा नियुक्ति का दावा कमजोर, क्षीण और यहाँ तक कि विफल भी हो सकता है। अत्यधिक विलंब के कारण याचिकाकर्ता के लिए राहत निरर्थक भी हो सकती है।

23. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, मैं इस मत का हूं कि प्रतिवादीगण की कार्रवाई न केवल सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा अवतार सिंह (सुप्रा) मामले में अधिकथित उपरोक्त कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह उनकी अपनी प्रशासनिक नीति निर्देशों का पूर्णतः पालन न करने और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर मस्तिष्क का प्रयोग न करने की विफलता को भी दर्शाता है। मेरे विचार से, यह संविधान के अंतर्गत याचिकाकर्ता के लोक नियोजन के लिए विचार किए जाने के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। इसलिए, प्रतिवादीगण की कार्रवाई को कानूनन उचित नहीं ठहराया जा सकता।

24. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है; प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जारी दिनांक 19.09.2022 (अनुलग्नक-9) का आक्षेपित पत्र निरस्त किया जाता है; प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करें और यदि वह आवेदित पद के लिए अन्यथा योग्य पाया जाता है, तो वे ग्राम विकास अधिकारी के पद पर उसकी अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी करें, जिसकी समीक्षा उसके विरुद्ध लंबित मामले के परिणाम के आलोक में की जाएगी और याचिकाकर्ता द्वारा यह वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर कि यदि उसे लंबित आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है, तो वह वर्तमान आदेश के आधार पर किसी भी इक्विटी का दावा नहीं करेगा। यह आवश्यक कार्य उस तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा, जब याचिकाकर्ता वर्तमान आदेश की वेब प्रिंट और उपरोक्त वचनबद्धता के साथ नियुक्ति प्राधिकारी से संपर्क करेगा।

25. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित माने जाते हैं ।

(अरुण मोंगा), जे

113-एके चौहान/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ/नहीं

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी

संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी